ए.

कोल इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर.

वी.

नवीन कुमार सिंह

(2014 की सिविल अपील Nos.6491-6492) सितंबर 25,2018

बी.

[दीपक मिश्रा**,** सीजेआई**,** ए**.** एम**.** खानविलकर और डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-पदोन्नति-अंतर-कंपनी हस्तांतरण-मूल इकाई में प्रदान की गई पिछली सेवा, यदि माना जाए-प्रत्यर्थी 4 अगस्त, 1990 को ई-2 ग्रेड में अपीलकर्ता कंपनी के डंकुनी कोयला परिसर (डीसीसी) में शामिल हुआ-प्रत्यर्थी के अनुरोध पर उसे डीसीसी से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) में स्थानांतरित कर दिया गया, जो अपीलकर्ता कंपनी की एक सहायक कंपनी है, ई-2 ग्रेड में-प्रत्यर्थी 15 मई, 1991 को सीएमपीडीआईएल में शामिल हुआ-अपीलकर्ता-कंपनी की नीति कि एक कर्मचारी अंतर-कंपनी हस्तांतरण की स्थिति में अपने मौजूदा ग्रेड में अपनी पिछली वरिष्ठता खो देगा, यदि कर्मचारी द्वारा स्वयं स्थानांतरण का अनुरोध किया गया था-हालांकि, जवाब देंप्रत्यर्थी पहले से ही सी. एम. पी. डी. आई. एल. में काम कर रहे किसी भी व्यक्ति पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर रहा है क्योंकि जब प्रत्यर्थी शामिल हुआ तो ई-2 ग्रेड में काम करने वाला कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं था-प्रत्यर्थी का सीमित दावा यह है कि 4 अगस्त, 1990 से ई-2 ग्रेड में उसके द्वारा दी गई सेवा को सी. एम. पी. डी. आई. एल. में काम करते हुए ई-3 ग्रेड के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से गिना जाए-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के दावे को उचित रूप से स्वीकार किया कि पदोन्नति के लिए उसकी पात्रता के निर्धारण के लिए, डी. सी. सी. में उसकी सेवा की अवधि को गिना जाना चाहिए-इसे सी. एम. पी. डी. आई. एल. में वरिष्ठता के मुद्दे के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दो अलग-अलग कारक हैं-अपीलार्थी की नीति बाद वाले से संबंधित है -

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

470 ए.

471

कोल इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामनवीन कुमार सिंह ए

प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थीझप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीेप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी-प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीबप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यथीीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीपप्रत्यथीीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीेप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीइप्रत्यर्थीकप्रत्यथीीप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थीडप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी)प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीेप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीदप्रत्यथीीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीछप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीेप्रत्यर्थीवप्रत्यथीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीभप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीखप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीेप्रत्यर्थीगप्रत्यथीीप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थीडप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीेप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीेप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीवप्रत्यथीीप्रत्यर्थीरप्रत्यथीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीदप्रत्यथीीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीेप्रत्यर्थीवप्रत्यथीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी

प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीधप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीखप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीडप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीठप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी-प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीडप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीठप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी5 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी9 प्रत्यर्थी9 प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीखप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थी3 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी-प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी

प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीइप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी-
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी-प्रत्यर्थी3 प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी।प्रत्यर्थी

बी.

सी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना:**1.1** जिस कार्यालय आदेश के अनुसार प्रत्यर्थी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड **(**सीएमपीडीआईएल**)** में शामिल हुआ**,** वह यह स्पष्ट करता है कि प्रत्यर्थी की वरिष्ठता की गणना सीएमपीडीआईएल में शामिल होने की तारीख से की जाएगी। यह भी देखा गया है कि जब प्रतिवादी **15** मई**, 1991** को सी**.** एम**.** पी**.** डी**.** आई**.** एल**.** में शामिल हुआ**,** तो ई**-2** ग्रेड में कोई वरिष्ठ व्यक्ति काम नहीं कर रहा था।नीति के खंड **11** को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर**,** यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि हस्तांतरणकर्ता सभी उद्देश्यों के लिए मूल कंपनी में दी गई अपनी पिछली सेवा खो देगा।हालांकि**,** मूल कंपनी में वरिष्ठता को जब्त करने की नीति उन अधिकारियों तक सीमित है जो व्यक्तिगत आधार पर

अंतर-कंपनी स्थानांतरण चाहते हैं।यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पहले से ही स्थानांतरित कंपनी में काम कर रहे अधिकारियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो।इस कारण से, व्यक्तिगत अनुरोध पर अंतर-कंपनी स्थानांतरण की मांग करने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता इस तरह तय की जाती है जैसे कि उन्होंने स्थानांतरित कंपनी में कार्यभार संभालने की तारीख को संबंधित श्रेणी में प्रवेश किया हो।यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत आधार पर अंतर-कंपनी स्थानांतरण की मांग करने वाला कार्यपालक श्रेणी में अपनी पिछली वरिष्ठता खो देगा।न अधिक और न ही कम।निस्संदेह, प्रत्यर्थी उस तारीख से पहले नई कंपनी (सी. एम. पी. डी. आई. एल.) में काम कर रहे किसी भी व्यक्ति पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर रहा है, जिस दिन उसने **15** मई, **1991** को कार्यभार संभाला था।तथापि, प्रत्यर्थी का सीमित दावा यह है कि **4** अगस्त, **1990** से ई-**2** श्रेणी में मूल इकाई (डी. सी. सी.) में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा को पद पर पदोन्नति के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से गणना की जाए।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

सी. एम. पी. डी. आई. एल. में काम करते हुए ई-**3** ग्रेड का पद। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के इस दावे को उचित रूप से स्वीकार कर लिया कि पदोन्नति के लिए उसकी पात्रता के निर्धारण के लिए, डी. सी. सी. में उसकी सेवा की अवधि को गिना जाना चाहिए।इसे सी. एम. पी. डी. आई. एल. में वरिष्ठता के मुद्दे के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दो अलग-अलग और अलग-अलग कारक हैं।खंड **11** के रूप में नीति बाद वाले से संबंधित है।नीति में कोई स्पष्ट शर्त नहीं है-चाहे वह खंड **11** हो या कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज-दूर से यह सुझाव देने के लिए कि व्यक्तिगत आधार पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण की मांग करने पर, संबंधित कार्यपालक सभी उद्देश्यों के लिए मूल इकाई (डी. सी. सी.) में अपने द्वारा प्रदान की गई अपनी पिछली सेवा भी खो देगा।इस तरह की शर्त के अभाव में, प्रत्यर्थी के दावे को विभाग द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता था।**[1. 2** वर्तमान मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी ने डी. सी. सी. में नियमित रूप से ई-**2** ग्रेड में सेवा प्रदान की थी, जहाँ से उसे व्यक्तिगत आधार पर सी. एम. पी. डी. आई. एल. में स्थानांतरित किया गया था।डी. सी. सी. में उनके द्वारा दी गई सेवा को नई कंपनी यानी सी. एम. पी. डी. आई. एल. में ई-**2** ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के अलावा अन्य

सभी उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जा सकता है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। वास्तव में, ई-2 ग्रेड में सीएमपीडीआईएल में उनकी वरिष्ठता की गणना 15 मई, 1991 को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से की जानी चाहिए, लेकिन ई-3 ग्रेड में पदोन्नति के लिए ई-2 ग्रेड में सेवा की अवधि के उनके पात्रता मानदंड को निर्धारित करते समय इसका कोई असर नहीं हो सकता है।ई-3 ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए, 4 अगस्त, 1990 से ई-2 ग्रेड में डी. सी. सी. में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की गणना की जानी चाहिए।उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण इस न्यायालय की सराहना करता है।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा 12 नवंबर, 1993 से प्रभावी ई-3 श्रेणी में प्रत्यर्थी को पदोन्नति की काल्पनिक तिथि निर्धारित करने के निर्देश में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।[पैरा 16] [482-सी-ई]

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.3 इसके अलावा, 5 जून, 1985 का कार्यालय ज्ञापन (जिसने नीति को स्पष्ट किया), प्रत्यर्थी के खिलाफ विद्रोह नहीं करता है।यह एक अलग मामला है कि यह उन अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर से वंचित करने के बारे में व्यक्त की गई कठिनाई को संबोधित करता है जिन्होंने अंतर-कंपनी स्थानांतरण का विकल्प चुना था।इस कार्यालय ज्ञापन को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि विभाग ए

जी.

एच.

473

कोल इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामनवीन कुमार सिंह ए

इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित कार्यपालक पहले ही पुरानी कंपनी के साथ सेवा की अवधि सहित एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा पूरी कर चुका है, तो वह उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार होगा।यदि ऐसा है, तो व्यक्तिगत अनुरोध पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण का विकल्प चुनने वाले और संयोग से नई कंपनी में वरिष्ठता में नंबर एक पद पर प्रवेश करने वाले कार्यकारी को समान लाभ नहीं देना विसंगत होगा। व्यक्तिगत अनुरोध पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण के लिए नीति के संदर्भ में जो प्रभावित होता

है, वह केवल नई (हस्तांतरित) कंपनी में वरिष्ठता की स्थिति है-जो वहां पद ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी।कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह मूल कंपनी में ई-2 ग्रेड में सेवा की अवधि को प्रभावित कर सकता है।दोनों अलग-अलग कारक होने के कारण, न तो नीति और न ही कार्यालय ज्ञापन डी. सी. सी. में अगस्त, 1990 से प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि की गणना के लिए कोई बाधा होगी, भले ही व्यक्तिगत अनुरोध पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण का मामला हो।[पैरा 17] [482-एफ-एच; 482-ए-बी]

बी.

सी.

डी.

भारत संघ और ओआरएस. v.सी. एन. पोनप्पन (1996) 1

एससीसी 524:[1995] 6 पूरक।एससीआर 220:वैज्ञानिक

रक्षा मंत्री के सलाहकार और अन्र. वी.वी. एम. जोसेफ

(1998) 5 एससीसी 305:[1998] 1 एससीआर 177-पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

ई.

[1995] 6 पूरक।एस. सी. आर. 220 पैरा 9 [1998] 1 एस. सी. आर. 177 पर निर्भर था।

पैरा 9 पर निर्भर

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2014 की सिविल अपील Nos.6491-6492।

एफ.

2003 के एल. पी. ए. No.546 और 2011 के सिविल समीक्षा No.68 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.05.2010 और 11.12.2013 के निर्णय और आदेशों से।

जी.

अनीप सचथे, सुश्री अंजलि चौहान, सुश्री रिया सचथे, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

मनीष कुमार सरन, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1.ये अपीलें 2003 के एल. पी. ए. में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 20 मई, 2010 को पारित निर्णय और आदेश और 2011 की सिविल समीक्षा संख्या 68 में पारित 11 दिसंबर, 2013 के आदेश से निकलती हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के फैसले को मामूली संशोधनों के साथ बरकरार रखा और घोषणा की कि अपीलकर्ता की पिछली कंपनी में प्रत्यर्थी की पिछली सेवा को व्यक्तिगत आधार पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण की स्थिति में सभी उद्देश्यों के लिए जब्त नहीं किया जा सकता है और अस्पष्टीकृत देरी के आधार पर उक्त फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

बी.

सी.

2. प्रत्यर्थी केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, 27 जून, 1990 को ई-2 ग्रेड में नियुक्त किया गया था और 4 अगस्त, 1990 को अपीलकर्ता कंपनी के दानकुनी कोयला परिसर (संक्षेप में 'डीसीसी') में शामिल हुआ था।प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अनुरोध पर, अपीलकर्ता कंपनी के कार्मिक प्रबंधक ने 23 अप्रैल, 1991 को एक स्थानांतरण आदेश जारी किया, जो No.C-5A (iii)/51434 (ट्रांस)/199 दिनांकित था, जिसमें प्रत्यर्थी को डीसीसी से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (संक्षेप में 'सीएमपीडीआईएल'), जो अपीलकर्ता कंपनी की एक सहायक कंपनी है, को उसकी मौजूदा क्षमता यानी ई-2 ग्रेड में स्थानांतरित किया गया था।स्थानांतरण सूचना में यह स्पष्ट किया गया था कि चूंकि स्थानांतरण स्वयं प्रत्यर्थी के कहने पर किया गया था, इसलिए ई-2 श्रेणी में उसकी वरिष्ठता की गणना उस तारीख से की जाएगी जब वह नए संगठन, सीएमपीडीआईएल में शामिल हुआ था। तदनुसार, प्रत्यर्थी 15 मई, 1991 को सी. एम. पी. डी. आई. एल. में शामिल हुआ।प्रत्यर्थी के शामिल होने के समय अंतर-कंपनी स्थानान्तरण पर अधिकारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए प्रचलित नीति इस प्रकार थीः

डी.

ई.

एफ.

“11. अंतर-कंपनी स्थानान्तरण पर ई-1 से ई-4 श्रेणी में अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

इस मुद्दे के दो पहलू हैंः

(क) प्रशासनिक आधार पर अंतर-कंपनी हस्तांतरणः- (ख) व्यक्तिगत आधार पर संबंधित कार्यपालक के अनुरोध पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण।

जी.

मौजूदा प्रणाली के अनुसार, ई-1 से ई-4 श्रेणी के अधिकारी संबंधित कंपनी कैडर के हैं।

एच.

475

कोल इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामनवीन कुमार सिंह [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

आधार है।ई-5 ग्रेड तक उनका कैरियर विकास कंपनी के भीतर है।जब इन श्रेणियों में एक कार्यकारी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है, तो वह उस कंपनी के उपयुक्त संवर्ग में शामिल हो जाता है।

11.1 समिति ने सिफारिश की है किः(i) जब कोई अंतर-कंपनी हस्तांतरण प्रशासनिक आधार पर किया जाता है, तो कार्यपालक की वरिष्ठता उस कंपनी में तय की जाएगी जिसमें उसे ग्रेड में प्रवेश की तारीख को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरित किया जाता है।

बी.

(ii) जब संबंधित कार्यपालक के अनुरोध पर व्यक्तिगत आधार पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण किया जाता है, तो जिस कंपनी में उनका स्थानांतरण किया जाता है, उसमें उनकी वरिष्ठता इस तरह तय की जाएगी जैसे कि उन्होंने नई कंपनी में कार्यभार संभालने की तारीख को ग्रेड में प्रवेश किया हो।दूसरे शब्दों में, इस तरह के कार्यकारी ग्रेड में अपनी पिछली वरिष्ठता खो देंगे।"

सी.

डी.

इस नीति को महाप्रबंधक (कार्मिक) द्वारा 5 जून, 1985 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से और स्पष्ट किया गया था, जो इस प्रकार हैः

"कंपनी की वर्तमान नीति के तहत, जब संबंधित कार्यपालक के अनुरोध पर व्यक्तिगत आधार पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण किया जाता है, तो जिस कंपनी में उसका स्थानांतरण किया जाता है, उसमें उसकी वरिष्ठता इस तरह तय की जाती है जैसे कि उसने नई कंपनी में कार्यभार संभालने की तारीख को श्रेणी में प्रवेश किया हो और कार्यपालक श्रेणी में अपनी पिछली

वरिष्ठता खो देता हो।एक मुद्दा उठाया गया है कि क्या ऐसे मामलों में पिछली कंपनी में कार्यपालक द्वारा दिए गए ग्रेड में सेवा की अवधि भी पदोन्नति के लिए पात्रता के रूप में गणना की जाएगी या नहीं।

ई.

एफ.

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुरोध पर स्थानांतरित अधिकारी का नाम नई कंपनी में उसके ग्रेड में वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जब नई कंपनी में उससे तुरंत वरिष्ठ अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है, मान लीजिए एक साल के बाद, हस्तांतरणकर्ता भी पदोन्नति के लिए विचार के लिए पात्र हो जाएगा बशर्ते वह पिछली कंपनी में न्यूनतम निर्धारित ग्रेड रखता हो।हालांकि, अगर नई कंपनी में हस्तांतरणकर्ता से तुरंत वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूनतम निर्धारित अवधि से कम समय दिया है

जी.

एच.

सेवा, मान लीजिए कि छह महीने, श्रेणी में हस्तांतरणकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है, भले ही हस्तांतरणकर्ता ने अपने स्थानांतरण से पहले श्रेणी में आवश्यक सेवा से अधिक काम किया हो।3. लंबित मामलों का निपटारा उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर किया जा सकता है।हालांकि, पिछले मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा।

बी.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।"

3. प्रत्यर्थी का दावा है कि सितंबर 1993 में, अपीलकर्ता कंपनी ने अपनी विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन किया, जिसके बाद कई कर्मचारियों को ई-2 ग्रेड से ई-3 ग्रेड में पदोन्नत किया गया, लेकिन प्रत्यर्थी को पदोन्नति के लिए नजरअंदाज कर दिया गया।प्रत्यर्थी को दिया गया कारण यह था कि सीएमपीडीआईएल में उनका स्थानांतरण उनके अनुरोध पर किया गया था और उनकी पदोन्नति पर विचार सीएमपीडीआईएल में 3 (तीन) साल का कार्य अनुभव पूरा करने के बाद ही किया जाएगा, जो ई-2 से ई-3 में पदोन्नति के लिए आवश्यक अवधि थी।

सी.

4. इसके बाद, प्रत्यर्थी को 12 दिसंबर, 1994 के आदेश के अनुसार 'ई-3' श्रेणी में पदोन्नत किया गया, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि उनकी वरिष्ठता अलग से तय की जाएगी, क्योंकि उन्हें केंद्रीकृत संवर्ग में समूह अवधारणा के तहत पदोन्नत किया गया था।इस आदेश को 2 जनवरी, 1995 को उनके पदनाम को कार्यकारी अभियंता (रसायन) में बदलने के लिए संशोधित किया गया था।

डी.

ई.

5. पदोन्नति के बाद, प्रत्यर्थी ने पदोन्नति के लिए अपनी पात्रता पर विचार करते हुए डी. सी. सी. (यानी 4 अगस्त, 1990 से 14 मई, 1991) में अपने कार्य अनुभव को बाहर करने के अपीलार्थी के फैसले को चुनौती दी, झारखंड के उच्च न्यायालय के समक्ष सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.2074/1997 के रूप में एक रिट याचिका दायर करके 12 नवंबर, 1993 से ई-3 ग्रेड में कार्यकारी अभियंता (रसायन) के पद पर उन्हें काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने का अनुरोध किया।एकल न्यायाधीश ने 18 नवंबर, 1998 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका का निपटारा किया, केवल अपीलकर्ता कंपनी को आदेश की तारीख से 3 (तीन) महीने के भीतर प्रत्यर्थी के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया।

एफ.

6. इसके बाद, अपीलकर्ता कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) ने प्रत्यर्थी के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद 16 फरवरी, 1999 को एक आदेश जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रत्यर्थी की वरिष्ठता पर विचार करते समय लागू नीति यह थी कि एक कर्मचारी अंतर-कंपनी हस्तांतरण की स्थिति में अपने मौजूदा ग्रेड में अपनी पिछली वरिष्ठता खो देगा।

जी.

एच.

477

कोल इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामनवीन कुमार सिंह [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

यदि स्थानांतरण के लिए अनुरोध कर्मचारी द्वारा स्वयं किया गया था और आगे, 5 जून, 1985 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, क्योंकि प्रतिवादी के ग्रेड से ऊपर कोई वरिष्ठ

कार्यकारी नहीं था, तो उक्त कार्यालय ज्ञापन के आवेदन का प्रश्न नहीं उठता था।उक्त आदेश इस प्रकार हैः

“श्री सिंह का स्थानांतरण डंकुनी कोयला परिसर, डंकुनी (पश्चिम बंगाल) से सीएमपीडीआईएल, रांची में किया गया।सी-5 ए (iii) 51434 (ट्रांस)/109 दिनांक 23 अप्रैल 1991 उनके अपने अनुरोध पर।1 अप्रैल 1993 से पहले अपनाई गई नीति के संदर्भ में (यानी जिस तारीख से सभी अधिकारियों के कैरियर विकास को सी. आई. एल. स्तर पर केंद्रीकृत किया गया था), किसी को "अनुरोध के आधार पर" एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्थानांतरण की स्थिति में अपने मौजूदा ग्रेड में अपनी पिछली वरिष्ठता खोनी पड़ती थी।इस नीति का बिना किसी अपवाद के बहुत सख्ती से पालन किया गया था।

बी.

सी.

5 जून 1985 का कार्यालय ज्ञापन केवल उस प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट करता है जिसका पालन इस तरह के स्थानांतरित कार्यकारी के विचार के लिए किया जाना चाहिए, जब हस्तांतरणकर्ता कंपनी में उनके तत्काल वरिष्ठ कार्यकारी को पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है।श्री सिंह के मामले में चूंकि उनके ऊपर कोई वरिष्ठ कार्यपालक नहीं था, इसलिए 5 जून 1985 के उपरोक्त ओ. एम. के आवेदन का प्रश्न नहीं उठ सका।इसके अलावा, श्री सिंह हस्तांतरणकर्ता कंपनी में अपेक्षित अवधि पूरी नहीं कर पाने के कारण अपनी पदोन्नति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि पिछली कंपनी में प्रदान की गई सेवा की अवधि को पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

डी.

ई.

परिसर में, मेरा विचार है कि श्री सिंह (याचिकाकर्ता) के प्रतिनिधित्व में कोई योग्यता नहीं है और काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है।”

एफ.

7. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 2000 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.4177 के रूप में एक नई रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 16 फरवरी, 1999 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई और प्रार्थना की गई कि उसे सभी परिणामी लाभों के साथ ई-3 श्रेणी में 12 नवंबर, 1993 से अनुमानित वरिष्ठता प्रदान की जा सकती है।इस रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 20 जून, 2003 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि हालाँकि प्रत्यर्थी विचार के समय सी. एम. पी. डी. आई. एल. की वरिष्ठता सूची में शीर्ष पर हो सकता है जब वह उस कंपनी में शामिल हुआ था।

जी.

एच.

ई-3 ग्रेड में पदोन्नति के लिए, डी. सी. सी. में उनकी सेवा की अनदेखी नहीं की जा सकती थी और इसलिए, उस समय ई-3 ग्रेड में उन्हें पदोन्नति से इनकार करना गलत था और तदनुसार, अपीलकर्ता कंपनी को प्रत्यर्थी की पदोन्नति की तारीख को संशोधित करने का निर्देश दिया गया था।

8. अपीलकर्ता कंपनी ने एल. पी. ए. No.546/2003 के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी।परिणाम आने तक, प्रत्यर्थी को ई-3 से ई-4 ग्रेड और फिर ई-4 से ई-5 ग्रेड में पदोन्नत किया गया था।20 मई, 2010 को डिवीजन बेंच ने अपीलार्थी की अपील का निपटारा करते हुए कहा कि नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करे कि पिछली कंपनी में पिछली सेवा, जिससे स्थानांतरण की मांग की गई है, को सभी उद्देश्यों के लिए जब्त किया जा सकता है, सिवाय इसके कि उस पिछली सेवा के बल पर वह उस श्रेणी में नई कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को हटाने का हकदार नहीं होगा जिसमें वह शामिल हुआ था।

बी.

सी.

9. पीड़ित, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, यह कहते हुए कि प्रत्यर्थी का दावा उस नीति के तहत है जिसके तहत उसे उसके अनुरोध पर सीएमपीडीआईएल को स्थानांतरित किया गया था और 5 जून, 1985 के कार्यालय ज्ञापन का वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर कोई अनुप्रयोग नहीं था।परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने प्रत्यर्थी को राहत देने में स्पष्ट त्रुटि की। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा दर्ज किए गए कारणों का समर्थन किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने वरिष्ठता और सेवा की अवधि के मामले के बीच के अंतर को नोट किया।अपीलार्थी द्वारा लागू की गई नीति केवल वरिष्ठता के मामले को नियंत्रित करती है और सेवा की अवधि को प्रभावित नहीं करती है।भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। बनाम।

डी.

ई.

एफ.

सी**.** एन**.** पोनप्पन **1** और रक्षा मंत्री और अन्र के वैज्ञानिक सलाहकार।

बनाम। वी. एम. जोसेफ 2.यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलें योग्यता से रहित हैं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

10. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनीप सचथे और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार सरन को सुना है।

जी.

11. घटनाओं के कालक्रम से उभरने वाली निर्विवाद स्थिति यह है कि प्रत्यर्थी को 27 जून, 1990 को डीसीसी में ई-2 ग्रेड में नियुक्त किया गया था और 4 अगस्त, 1990 को उस पद पर नियुक्त किया गया था।उन्होंने अनुरोध किया।

1 (1996) 1 एससीसी 524 2 (1998) 5 एससीसी 305 ए

एच.

479

कोल इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामनवीन कुमार सिंह [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

डी. सी. सी. से सी. एम. पी. डी. आई. एल. को हस्तांतरण के लिए, जो अपीलार्थी कंपनी की सहायक कंपनी है।उस अनुरोध को अनुकूल माना गया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी 23 अप्रैल, 1991 के कार्यालय आदेश के अनुसार मौजूदा ई-2 ग्रेड में सीएमपीडीआईएल में शामिल हो गया।उक्त कार्यालय आदेश इस प्रकार हैः

“कोल इंडिया लिमिटेड

बी.

“कोल भवन "

10-नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001 No.C-5A (iii)/51434 (ट्रांस)/199 दिनांकः23.04.1991 ओ आर डी ई आर

वर्तमान में डंकुनी कोयला परिसर में तैनात ई-2 ग्रेड में रसायन इंजीनियर श्री नवीन कुमार सिंह को अगले आदेश तक उनकी मौजूदा क्षमता/ग्रेड में केंद्रीय खदान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सी.

2. डंकुनी कोयला परिसर से रिहा होने पर, श्री सिंह उस कंपनी में आगे के कार्य के लिए प्रभारी निदेशक, सीएमपीडीआई, रांची को रिपोर्ट करेंगे।

डी.

3. चूंकि स्थानांतरण उनके अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए श्री सिंह किसी भी स्थानांतरण टी. ए./सेटलमेंट इन अलाउंस आदि के हकदार नहीं होंगे और केमिकल इंजीनियर के रूप में ई-2 ग्रेड में उनकी वरिष्ठता की गणना सीएमपीडीआई में शामिल होने की तारीख से की जाएगी।

ई.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

एसडी/-

(ए. के. मुखर्जी)

कार्मिक प्रबंधक (ई. ई.) "12. वास्तव में, कार्यालय के आदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी की वरिष्ठता की गणना सीएमपीडीआईएल में शामिल होने की तारीख से की जाएगी। यह भी देखा गया है कि जब प्रत्यर्थी 15 मई, 1991 को सी. एम. पी. डी. आई. एल. में शामिल हुआ, तो ई-2 ग्रेड में कोई वरिष्ठ व्यक्ति काम नहीं कर रहा था।सवाल यह हैःक्या अंतर-कंपनी स्थानान्तरण पर कार्यपालकों की अंतर-वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में नीति प्रत्यर्थी की उच्च श्रेणी यानी ई-3 श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी पात्रता की गणना करने के लिए, जबकि नई हस्तांतरित कंपनी (सीएमपीडीआईएल) में आती है, के रास्ते में आएगी? चूंकि प्रत्यर्थी को शुरू में सितंबर, 1993 में 3 साल पूरे होने पर 4 अगस्त, 1990 को डीसीसी में ई-2 ग्रेड में नियुक्त किया गया था।

एफ.

जी.

एच.

उन्होंने अगली कक्षा यानी ई-3 श्रेणी में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए आवश्यक पात्रता प्राप्त कर ली।हालांकि, विभाग ने संबंधित समय पर आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति में ई-3 ग्रेड में पदोन्नति के लिए प्रतिवादी के मामले पर विचार नहीं किया।इसके बजाय, उन्हें केवल दिसंबर, 1994 में ई-3 ग्रेड में माना गया और पदोन्नत किया गया।
13.पॉलिसी के खंड 11 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि हस्तांतरणकर्ता सभी उद्देश्यों के लिए मूल कंपनी में दी गई अपनी पिछली सेवा खो देगा। हालांकि, मूल कंपनी में वरिष्ठता को जब्त करने की नीति उन अधिकारियों तक सीमित है जो व्यक्तिगत आधार पर अंतर-कंपनी स्थानांतरण चाहते हैं।यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पहले से ही स्थानांतरित कंपनी में काम कर रहे अधिकारियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो।इस कारण से, व्यक्तिगत अनुरोध पर अंतर-कंपनी स्थानांतरण की मांग करने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता इस तरह तय की जाती है जैसे कि उन्होंने स्थानांतरित कंपनी में कार्यभार संभालने की तारीख को संबंधित श्रेणी में प्रवेश किया हो।यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत आधार पर अंतर-कंपनी स्थानांतरण की मांग करने वाला कार्यपालक श्रेणी में अपनी पिछली वरिष्ठता खो देगा।न अधिक और न ही कम।

बी.

सी.

डी.

14. निस्संदेह, प्रत्यर्थी उस तारीख से पहले नई कंपनी (सी. एम. पी. डी. आई. एल.) में काम कर रहे किसी भी व्यक्ति पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर रहा है, जिस दिन उसने 15 मई, 1991 को कार्यभार संभाला था।तथापि, प्रत्यर्थी का सीमित दावा यह है कि ई-2 ग्रेड में 4 अगस्त, 1990 से मूल इकाई (डी. सी. सी.) में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा को सी. एम. पी. डी. आई. एल. में काम करते हुए ई-3 ग्रेड के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के इस दावे को उचित रूप से स्वीकार कर लिया कि पदोन्नति के लिए उसकी पात्रता के निर्धारण के लिए, डी. सी. सी. में उसकी सेवा की अवधि को गिना जाना चाहिए।इसे सी. एम. पी. डी. आई. एल. में वरिष्ठता के मुद्दे के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दो अलग-अलग और अलग-अलग कारक हैं।खंड 11 के रूप में नीति बाद वाले से संबंधित है।नीति में कोई स्पष्ट शर्त नहीं है-चाहे वह खंड 11 हो या कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज-दूर से यह सुझाव देने के लिए कि व्यक्तिगत आधार पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण की मांग करने पर, संबंधित कार्यपालक सभी उद्देश्यों के लिए मूल इकाई (डी. सी. सी.) में अपने द्वारा प्रदान की गई अपनी पिछली सेवा भी खो देगा।इस तरह की शर्त के अभाव में, प्रत्यर्थी के दावे को विभाग द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता था।इस प्रस्ताव को सी. एन. पोनप्पन (ऊपर) के उक्ति से प्रबलित किया गया है, जिसे वी. एम. जोसेफ (ऊपर) में अनुमोदन के साथ नोट किया गया है।सी. एन. पोनप्पन (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

ई.

एफ.

जी.

एच.

481

कोल इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामनवीन कुमार सिंह [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

“4. एक कर्मचारी द्वारा उस स्थान पर दी जाने वाली सेवा, जहाँ से उसे अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरित किया गया था, नियमित सेवा है।यह उस स्थान पर प्रदान की जाने वाली सेवा से अलग नहीं है जहां उनका स्थानांतरण किया जाता है।छुट्टी और सेवानिवृत्ति लाभों के उद्देश्य से दोनों अवधियों को ध्यान में रखा जाता है।यह तथ्य कि स्थानांतरण के परिणामस्वरूप उसे स्थानांतरण के स्थान पर वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाता है, उस स्थान पर उसकी सेवा को समाप्त नहीं करता है जहाँ से वह आया था।

बी.

उनका तबादला कर दिया गया।उक्त सेवा, ग्रेड में नियमित सेवा होने के कारण, पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से उसके अनुभव के हिस्से के रूप में ध्यान में रखी जानी चाहिए और इसे केवल इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह उस स्थान पर प्रदान नहीं किया गया था जहां उसका स्थानांतरण किया गया है।हमारे देश में

सी.

राय में, न्यायाधिकरण ने सही निर्णय दिया है कि जिस स्थान से कर्मचारी का स्थानांतरण किया गया है, उस स्थान पर आयोजित सेवा को उस स्थान पर पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से अनुभव के रूप में गिना जाना चाहिए जहां उसका स्थानांतरण किया गया है।”

(जोर दिया गया) 15.इस विचार को इस न्यायालय की एक अन्य दो-न्यायाधीशों की पीठ ने वी. एम. जोसेफ (ऊपर) में पैराग्राफ 6 में दोहराया है, जो इस प्रकार हैः

डी.

“6. ऊपर दिए गए तथ्यों से यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी को वरिष्ठ स्टोरकीपर के पद पर इस आधार पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था कि उसने 7-6-1980 पर स्टोरकीपर के रूप में 3 साल की नियमित सेवा पूरी की थी और इसलिए, उसे 1980 से पहले पदोन्नत नहीं किया जा सका था।इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, अपीलार्थीगण ने केंद्रीय

आयुध डिपो, पुणे में प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सेवा की अवधि को 27-4-1971 से 6-6-1977 तक की अवधि के लिए स्टोरकीपर के रूप में शामिल नहीं किया।अपीलार्थीगण ने तर्क दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी को उनके अनुरोध पर अनुकंपा के आधार पर कोच्चि में स्टोरकीपर के पद पर स्थानांतरित किया गया था और उन्हें वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा गया था, इसलिए 3 साल की नियमित सेवा की अवधि को केवल उस तारीख से शुरू माना जा सकता है जिस दिन उन्हें कोच्चि स्थानांतरित किया गया था।यह स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि प्रत्यर्थी ने पहले ही पुणे में एक स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लिया था जहां उसने एक स्टोरकीपर के रूप में 3 साल से अधिक की सेवा प्रदान की थी।भले ही एक

ई.

एफ.

जी.

कर्मचारी को उसके अपने अनुरोध पर एक स्थान से स्थानांतरित किया जाता है।

एच.

उसी पद पर दूसरे के लिए, उनके द्वारा पहले के स्थान पर प्रदान की गई सेवा की अवधि जहां उन्होंने एक स्थायी पद संभाला था और स्थायी दर्जा प्राप्त किया था, को पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है, हालांकि उन्हें स्थानांतरित स्थान पर वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा गया हो सकता है। पदोन्नति के लिए पात्रता को वरिष्ठता के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दो अलग-अलग और अलग-अलग कारक हैं।"

बी.

(जोर दिया गया) 16।वर्तमान मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी ने डी. सी. सी. में नियमित आधार पर ई-2 ग्रेड में सेवा प्रदान की थी, जहाँ से उसे व्यक्तिगत आधार पर सी. एम. पी. डी. आई. एल. में स्थानांतरित किया गया था।डी. सी. सी. में उनके द्वारा दी गई सेवा को नई कंपनी यानी सी. एम. पी. डी. आई. एल. में ई-2 ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के अलावा अन्य सभी उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जा सकता है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। वास्तव में, ई-2 ग्रेड में सीएमपीडीआईएल में उनकी वरिष्ठता की गणना 15 मई, 1991 को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से की जानी चाहिए, लेकिन ई-3 ग्रेड में पदोन्नति के लिए ई-2 ग्रेड में सेवा की अवधि के उनके पात्रता मानदंड को निर्धारित करते समय इसका कोई असर नहीं हो सकता है।ई-3 ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए, 4 अगस्त, 1990 से ई-2 ग्रेड में डी. सी. सी. में उनके द्वारा

प्रदान की गई सेवा की गणना की जानी चाहिए।उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण हमारी सराहना करता है।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा 12 नवंबर, 1993 से प्रभावी ई-3 श्रेणी में प्रत्यर्थी को पदोन्नति की काल्पनिक तिथि निर्धारित करने के निर्देश में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

सी.

डी.

ई.

17. जहां तक 5 जून, 1985 के कार्यालय ज्ञापन का संबंध है, वह प्रत्यर्थी के खिलाफ नहीं है।यह एक अलग मामला है कि यह उन अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर से वंचित करने के बारे में व्यक्त की गई कठिनाई को संबोधित करता है जिन्होंने अंतर-कंपनी स्थानांतरण का विकल्प चुना था।इस कार्यालय ज्ञापन को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि विभाग ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि यदि संबंधित कार्यपालक पहले ही पुरानी कंपनी के साथ सेवा की अवधि सहित एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा पूरी कर चुका है, तो वह उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार होगा।यदि ऐसा है, तो व्यक्तिगत अनुरोध पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण का विकल्प चुनने वाले और संयोग से नई कंपनी में वरिष्ठता में नंबर एक पद पर प्रवेश करने वाले कार्यकारी को समान लाभ नहीं देना विसंगत होगा।माना जाता है कि ए क्या है?

एफ.

जी.

एच.

483

कोल इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामनवीन कुमार सिंह [ए. एम. खानविलकर, जे.]

व्यक्तिगत अनुरोध पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण के लिए नीति के संदर्भ में प्रभावित, केवल नई (हस्तांतरित) कंपनी में वरिष्ठता स्थिति है-जो उस पर पद ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी।कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह मूल कंपनी में ई-2 ग्रेड में सेवा की अवधि को प्रभावित कर सकता है।दोनों अलग-अलग कारक होने के कारण, न तो नीति और न ही कार्यालय ज्ञापन डी. सी. सी. में अगस्त, 1990 से प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि की गणना के लिए कोई बाधा होगी, भले ही व्यक्तिगत अनुरोध पर अंतर-कंपनी हस्तांतरण का मामला हो।नतीजतन, इन अपीलों को विफल होना चाहिए।

बी.

18. तदनुसार, अपीलों को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है लागतें।

सी.

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.